

प्रति

श्री मान थाना प्रभारी महोदय

थाना प्रेम नगर जिला झाँसी उत्तर प्रदेश

आवेदक -ब्रांच मैनेजर , स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड ब्रांच पता हनसरी टपररयन राशन शॉप के पास उत्तर प्रदेश पपन 284135

अनावेदकगण -

Fraudulent Employee Name	Designation	EMPLOYEE ID
Jitendra Jatav	Loan Officer	SF0082226

सभी के द्वारा

विषय:- आवेदक के द्वारा श्री मान थाना प्रभारी महोदय थाना प्रेम नगर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि समूह की महिलाओं से प्राप्त ऋण की किश्त की धनराशि इकठ्ठा कर साशय स्वयम आर्थिक लाभ अर्जित करने के उदेश्य से धोखाधडी कारित करते हुये स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड,कंपनी के धन को कपट ,व बेईमानी पूर्वक संपत्ति का दुर्विनियोग ,व्ययन कर स्वयम के उपयोग हेतु संपरिवर्तन कर,आपराधिक न्यासभंग व छल,कर अमानत में खयानत कर हडप लिये जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र जिस पर सम्बंधित थाना प्रभारी महोदय के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नही कि गई ।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें, इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के कार्यालय शाखा हनसरी टपररयन राशन

शॉप के पास प्रेम नगर थाना बी एच इ एल खैलार थाना प्रेम नगर में शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत रह कर अपने कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन कर रहा हु, प्रार्थी का अनुरोध निम्नलिखित है:-

1. यह कि, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड (CIN 16592 9TG 2003 PLC040648) कंपनी अधिनियम 19956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलेक्सी विंग बी 16 बी मंजिल प्लॉटनंबर 01, 34 नंबर, 83/1, नॉलेज सिटी TCIIIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलंगाना 50081 में स्थित है

2. यह कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इसे माइक्रो फाइन डेन्स इन्स्ट्रीट्यूट NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत किया गया है।

----- 2

----- 2 -----

3. यह कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया है, जो निर्धन, महिलाओं एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को एवं ऐसे व्यक्ति जो कि अपने कार्य शैली पर व्यापार/उद्ययम करना चाहते हैं उन्हें ऋण देकर सहायता करने का कार्य करते हैं।

4. यह कि कंपनी में वर्णित कार्यरत सभी कर्मचारियों के द्वारा समूह की महिलाओं से प्राप्त ऋण की किश्त की धनराशि इकठ्ठा की गई। उस धनराशि को इस सभी लोगो के द्वारा नियमानुसार आनलाइन एप्लीकेशन पर विवरण अपडेट कर कंपनी में जमा कराना था, परन्तु उनके द्वारा इस धनराशि को स्वयं हडप कर लिया गया एवं आर्थिक लाभ अर्जित कर कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचायी गई।

5. यह कि समूह महिलाओं के द्वारा कंपनी की स्थानीय शाखा में उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा ऋण की धनराशि जमा न किये जाने की शिकायत की गई जिस पर स्थानीय शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। तत्क्रम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपनी ऑडिट दल को इस मामले में जांच करने को कहा

गया। तदोपरान्त कंपनी के ऑडिट दल के द्वारा लगभग रूपये 6920/- " रूपये के गबन की सूचना/पुष्टि उपरोक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा अपनी जांच में करना पाया गया। जिसे नियम अनुसार बैंक में न जमा करके खुद ही अपने पास रख के फरार हो गया

6. यह की आवेदन के साथ अनावेदकगण के द्वारा करित गबन के सम्बंध मे **CLV** रिपोर्ट जोकि अनावेदकगण के अपराधो कि पुष्टी करता है, जिसमे यह भी स्पष्ट वर्णित है कि अनावेदकगणो के द्वारा जिन निर्धन, जरूरतमंद महिलाओं के साथ आपराधिक न्यासभंग व छल,कर अमानत में खयानत कर हडप लिया है, व अनावेदकगणो के **KYC** दस्तावेज़, भी संलग्न है ।

7. यह की, सभी लोन अधिकारी कर्मचारी जोकि शाखा प्रबंधक- थाना प्रेम नगर जिला झाँसी, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड ब्रांच पता :- हनसरी टपररयन राशन शॉप के पास प्रेम नगर थाना बी एच इ एल खैलार में कार्यरत थे, जिनको धोखाधड़ी और आपराधिक दुर्विनियोजन करने के कारण कंपनी के द्वारा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबन पत्र प्रेषित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी।

8. यह कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्था का पैसा वापस करने के लिए कहा गया, जिसके पश्चात उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद इन लोगों ने संस्था के जो अन्य कर्मचारी थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा धनराशि वापस करने से इंकार कर दिया।

9. यह कि प्रकरण में कार्यवाही न होने के कारण कंपनी के कर्मचारियों का मनोबल गिरा हुआ है एवं उक्त अपराधियों पर कार्यवाही न होने के कारण वे समाज में खुले घूम रहे हैं।

10. यह प्रकरण मात्र कंपनी के साथ धोखाधड़ी से आर्थिक लाभ अर्जित कर कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाने तक सीमित नहीं है वरन यह अपराध उन निर्धन, निर्बल महिलाओं एवं व्यक्तियों के विरुध है जो कि किसी प्रकार ऋण प्राप्त कर अपनी रोजी रोटी कमा कर स्वयम एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

11. यह प्रकरण निर्धन व्यक्तियों की जमा पूंजी को हडपने के साथ फाइनेंशियल सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने से संबंधित है, जिसका प्रभाव वृहत्त जनहित

के प्रतिकूल होगा एवं ऐसे प्रकरणों में पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही किये जाने के निर्देश केन्द्र एवं राज्य व सरकार से लगातार दिये जाते हैं।

प्रार्थना

अतः प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत श्री मान जी से प्रार्थना है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुये संबंधित थाना प्रभारी महोदय को जल्द से जल्द अपराधियों के विरुद्ध त्वरित रूप से भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे, जिससे फाइनेंशियल कंपनी का उसका धन वापस मिल सके और उक्त अपराधियों को उनके अपराधों का दण्ड मिल सके कृपा जो न्याय हित मे परम आवश्यक है ।

धन्यवाद

दिनांक-

प्रार्थी,

पुष्पेंद्र सोलांकी

(शाखा प्रबंधक)

मो.-9399419403

ब्रांच पता :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड

बी एच इ एल खैलार हनसरी टपररयन राशन

शॉप के पास झाँसी उत्तर प्रदेश पिन 284135